कार्यालय-छात्र कल्याण अधिष्ठाता
(चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ)

पत्रांक: DSW/1916
दिनांक: 05.02.2020

विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय परिसर के शैक्षणिक विभागों/सम्बद्ध महाविद्यालयों में पी०-एच०डी० में पंजीकृत तथा नेट उत्तीर्ण एवं रु० 5 लाख प्रति वर्ष पारिवारिक आय से कम वाले शोधार्थियों को रु० 3000/- प्रतिमाह की छात्रवृत्ति हेतु आवेदन-पत्र आंमन्त्रित किये जा रहे हैं। छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियम एवं आवेदन-पत्र संलग्न है।

उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन-पत्र (संलग्न प्रारूप पर) समस्त संलग्नकों सहित विभागाध्यक्ष (परिसर के शैक्षणिक विभाग)/प्राचार्य/प्राचार्या से अग्रसारित कराकर छात्र कल्याण अधिष्ठाता कार्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ 250004 (उत्तर प्रदेश) के पते पर प्रेषित कर सकते है। कार्यालय में आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 18.03.2020 है। उक्त तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

छात्रवृत्ति हेतु अर्ह पाए गये अभ्यर्थियों की सूची मार्च माह के अन्तिम सप्ताह में विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी।

संलग्नक:- 1. छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियम की प्रति।
2. छात्रवृत्ति आवेदन-पत्र का प्रारूप।

छात्र कल्याण अधिष्ठाता

<u>प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।</u>

1. वैयक्तिक सहायक कुलपति को कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक प्रतिकुलपति को प्रतिकुलपति जी के संज्ञानार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता) को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि वह विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्राचार्या को सूचित करने का कष्ट करें।
5. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
6. वैयक्तिक सहायक वित्त अधिकारी को वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ।
7. सहायक कुलसचिव (लेखा/विकास/शोध पंजीयन), चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

छात्र कल्याण अधिष्ठाता

कार्यालय–छात्र कल्याण अधिष्ठाता
(चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ)

विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों से नेट उत्तीर्ण व पी–एच0डी0 में पंजीकृत ऐसे विद्यार्थी जिनकी पारिवारिक आय प्रतिवर्ष 5 लाख से कम है को रु0 3000/– प्रतिमाह की छात्रवृत्ति दिये जाने सम्बन्धी नियम।

1. यह छात्रवृत्ति उन्हीं शोध छात्रों को प्रदान की जायेगी जो नेट उत्तीर्ण होने के साथ विश्वविद्यालय परिसर/सम्बद्ध महाविद्यालयों में आर0डी0सी0 की संस्तुति के उपरान्त शोधार्थी के रूप में पंजीकृत हैं। साथ ही उनके परिवार की सकल स्रोतों से अधिकतम आय रु0 5.00 लाख से अधिक नहीं है।

2. इस छात्रवृत्ति का लाभ लेने हेतु इच्छुक शोधार्थी अपने प्रत्यावेदन निर्धारित प्रारूप पर वांछित संलग्नकों सहित (शैक्षिक योग्यता, नेट सर्टिफिकेट, शोध पंजीकरण पत्र, आय प्रमाण–पत्र इत्यादि) सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/प्राचार्य से संस्तुति कराकर निर्धारित तिथि तक छात्र कल्याण अधिष्ठाता कार्यालय में उपलब्ध करायेंगे।

3. यह छात्रवृत्ति वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) के अनुसार देय होगी। यह शोध छात्रवृत्ति 1 अप्रैल 2020 से प्रारम्भ होगी।

4. यह छात्रवृत्ति अधिकतम 2 वर्षों (24 माह) तक देय होगी। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी थीसिस इससे पहले जमा कर देता है तो उसकी छात्रवृत्ति उसी तिथि से समाप्त हो जायेगी।

5. यदि कोई अभ्यर्थी छात्रवृत्ति के दौरान नौकरी प्राप्त कर लेता है तो इसकी तत्काल सूचना देने का दायित्व शोधार्थी का होगा व उसकी छात्रवृत्ति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

6. अभ्यर्थी के कार्य के सम्बन्ध में यदि उसके विभागाध्यक्ष (परिसर के शैक्षणिक विभाग)/प्राचार्य/प्राचार्या द्वारा कोई असन्तोषजनक आख्या प्राप्त होती है तो उसकी छात्रवृत्ति समाप्त करने पर विचार किया जायेगा।

7. छात्रवृत्ति के दौरान शोधार्थी किसी प्रकार के अन्य "Remunerative" कार्य में संलग्न नहीं होना चाहिए। शोधार्थी इस आशय का प्रमाण–पत्र विभागाध्यक्ष (परिसर के शैक्षणिक विभाग)/प्राचार्य/प्राचार्या से प्रमाणित कराकर उपलब्ध करायेगा।

8. इस छात्रवृत्ति का लाभ लेने वाले शोधार्थियों की निर्धारित उपस्थिति सम्बन्धित विभाग में अनिवार्य होगी।

9. इस छात्रवृत्ति सम्बन्धी अधिसूचना छात्र कल्याण अधिष्ठाता कार्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में प्रकाशित की जायेगी तथा वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन–पत्र प्रारूप (प्रारूप संलग्न) पर प्रस्तुत आवेदनों पर नियमानुसार विचार के साथ अर्ह अभ्यर्थियों की सूची मार्च माह के द्वितीय सप्ताह में प्रकाशित की जायेगी व उसी वर्ष अप्रैल माह से लागू होगी।

10. यह सूची कुलसचिव, वित्त अधिकारी तथा विकास विभाग को प्रेषित कर दी जायेगी, जिससे उनके बिल केन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत पारित हो व भुगतान हो।

OFFICE OF THE DEAN STUDENTS' WELFARE
CH. CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

Proforma for Scholarship of Rs. 3000/- Per Month to NET passed Ph.D. Enrolled Candidates (having family income less then 5.00 Lacper year) of Ch. Charan Singh University Campus/Affiliated Colleges

Name :

Father's / Husband's Name :

Date of Birth :

Address for Correspondence :

Mobile No. :

Email Address :

Subject :

Date of Ph.D. Registration :

Date of NET Clearing Examination :

Bank Name & Address :

Bank Account No. :

IFSC Code No. :

Essential Enclosures :

Photo Attested by College Principal/HOD of University Teaching Department

(1) Copy of RDC letter
(2) Copy of NET Certificate
(3) Family Income Certificate from Competent Authority
(4) Undertaking for not in Government Service/not in any Job/not holding any office of profit.

Signature of Candidate

Countersigned by Principal/HOD of University Teaching Department